

संख्या: 14/15/65

तिथि: 02/02/2023

पावती समय: 04:37 PM

हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग हेतु

तारांकित प्रश्न

विषय चिकित्सकों के मुकदमे वापिस लेने बारे।

सूचना प्राप्ति दिनांक 02/02/2023

मंत्री:

प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में

प्राथमिकता, यदि कोई हो

प्रेषक:

श्री धर्मसिंह छोकर(27), सदस्य

सेवा में

सचिव,

हरियाणा विधान सभा

Delhi-1

महोदय,

देता हूँ जिसका उत्तर

भवदीय,

श्री धर्मसिंह छोकर(27)

सदस्य

02/02/2023 04:37 PM

निर्वाचन क्षेत्र संख्या व नाम:27 समालखा

प्राथमिकता क्रम :-

* बतलाने की कृपा करेंगे :

सन 1972 से हरियाणा में अनुभव आधार पर सूचीकरण नहीं हुआ है। पूरे हरियाणा में सामाजिक चिकित्सक महासंघ हरियाणा का संगठन है। हमारे चिकित्सक साथी शहरी स्लम बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्रों में 80% से 90% लोगो की प्राथमिकता चिकित्सक करते है। उनके पास सूचीकरण न होने के कारण उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे है जबकि 22 सितम्बर 2017 में करनाल में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने संगठन के पदाधिकारियों से मीटिंग कर उन्हें आश्वाशन दिया था कि आपको सूचीकरण या ट्रेनिंग देंगे और दर्ज मुकदमे भी वापिस लेंगे लेकिन आज तक कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ।